PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Jansatta, Delhi
Thursday, 29th July 2010, Page: 7
Width: 16.72 cms Height: 12.40 cms, Ref: pmin.2010-07-29.41.35

दवा कंपनियों के लिए मरीजों पर क्लीनिकल ट्रायल कर रहे मध्यप्रदेश के डॉक्टर

इंदौर, 28 जुलाई (भाषा)। इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से संबद्ध महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (एमवायएच) में कथित रूप से मरीजों को अंधेरे में रखकर उन पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दवाओं के परीक्षण के संगीन मामले में महाविद्यालय प्रशासन ने अब तक तटस्थ रवैया अपना रखा है। उसने माना है कि मध्यप्रदेश के इस बड़े सरकारी अस्पताल के डॉक्टर दवा कंपनियों के लिए मरीजों पर चौथे चरण के क्लीनिकल ट्रायल कर रहे हैं।

महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर एमके सारस्वत ने बताया कि एमवायएच में अलग-अलग विभागों के कुछ डॉक्टर क्लीनिकल ट्रायल कर रहे हैं। कुछ बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के लिए किए जा रहे ये ट्रायल चौथे चरण के हैं। इनके पिछले तीन चरण यूरोप के देशों में हो चुके हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक क्लीनिकल ट्रायल का चौथा चरण बेहद अहम होता है। अगर इसके नतीजों में सबकुछ सही पाया जाता है तो दवा कंपनी को अपने उत्पाद को देश के बाजार में उतारने की सरकारी मंजूरी हासिल करने का जरूरी आधार मिल जाता है।

सारस्वत ने किसी नाम का जिक्र किए बगैर कहा कि एमवायएच में क्लीनिकल ट्रायल करने वाले डॉक्टरों का दावा है कि वह यह काम तय मंजूरी लेकर और कायदों के दायरे में कर रहे हैं। क्या चिकित्सा महाविद्यालय प्रशासन ने इस दावे की सच्चाई परखने के लिए अब तक अपनी ओर से कोई कदम उठाया है, इस पर उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में अभी जांच समिति गठित करने का कोई कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि यह मामला अभी विधानसभा में लंबित है। वैसे मैं मामले के नियम-कायदों का अध्ययन कर रहा हूं।

सारस्वत ने एमवायएच में क्लीनिकल ट्रायल पर ज्यादा जानकारी देने में असमर्थता जताते हुए कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय प्रशासन इस मामले में विधानसभा में उठे सवालों के जवाब दो चरणों में पहले ही दे चुका है। प्रदेश के आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो (ईओडब्लू) ने इस मामले की जांच शुरूकर दी है। ईओडब्लू के पुलिस महानिरीक्षक अजय शर्मा ने भोपाल से फोन पर बताया कि यह जांच इंदौर के गैर सरकारी संगठन स्वास्थ्य समर्पण सेवा समिति की शिकायत पर शुरूकी गई है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर इस बारे में मामला दर्ज किया जाएगा। यह जांच अतिरिक्त महानिरीक्षक स्तर के एक पुलिस अफसर को सौंपी गई है, जो तीन से चार हफ्ते में पूरी हो सकती है।

शर्मा ने कहा कि हम इस मामले के आपराधिक पहलुओं की जांच कर रहे हैं। इसमें खासकर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सरकारी डॉक्टरों ने क्लीनिकल ट्रायल की आड़ में अवैध तरीके से पैसा तो नहीं बनाया। इस बारे में विषय विशेषज्ञों की सलाह भी ली जा रही है। स्वास्थ्य समर्पण सेवा समिति के अध्यक्ष आनंद सिंह राजे का आरोप है कि एमवायएच में करीब दस साल से मरीजों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विकसित दवाओं का धोखे से परीक्षण किया जा रहा है। इसके बदले सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को दवा कंपनियों से मोटी रकम मिलती है। राजे का यह भी आरोप है कि एमवायएच में अनैतिक क्लीनिकल ट्रायल से पहले प्रदेश सरकार से न तो कोई इजाजत ली गई, न ही तय कायदों का पालन किया गया। वहीं अस्पताल के डॉक्टरों को ट्रायल के बदले दवा कंपनियों से कितनी रकम मिली, सरकार के पास इसका सही हिसाब-किताब भी नहीं है।

Misc.